77

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी प्रकरण क्र.- निग/2701/II/15 वर्ष

1. अनन्तराम दुबे तनय श्री दस्सू दुबे,

2. रामसेवक दुबे तनय श्री दस्सू दुबे

निवासीगण ग्राम कदारी, तहसील व जिला

छतरपुर म.प्र. ----------निगरानीकर्तागण

बनाम

महेश तनय छोटेलाल मिश्रा, निवासी ग्राम

कदारी, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. ----------प्रतिप्रार्थी

डी.के. पारसी (एड.) 21/08/15 को

डी. के. पारी (एड.)
राजस्व मण्डल, मोतीमहल, म.प्र.
ग्वालियर मो.: 9753356589

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र. भू-रा. सं.

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक- 17.08.15 पारित अन्तर्गत प्रकरण क्र.-136/अपील/बी-121/14-15 (महेश बनाम अनन्तराम दुबे), जिसमें प्रार्थीगण का वाद भूमि से निर्माण हटाये जाने का आलोच्य आदेश पारित किया गया है, से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्न तथ्यों व आधारों पर यह निगरानी सादरप्रस्तुत करते हैं :-

निगरानी के तथ्य

संक्षेप में मामला यह है कि प्रतिप्रार्थी महेश मिश्रा द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार महोदय छतरपुर के समक्ष एक शिकायती आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कदारी स्थित भूमि खसरा नंबर-815 म.प्र.शासन आबादी भूमि है, जिसमें आवेदक का मकान पूर्व से बना है और पश्चिम की तरफ निकास है। प्रार्थीगण का मकान भी आबादी में पश्चिम दिशा में बना है और पूरब दिशा की ओर उनका निकास है। उभयपक्ष के मकान के सामने सार्वजनिक कुआं है तथा दक्षिण में मैदान है। कुंआ सार्वजनिक है, जिस पर ग्राम के सभी लोगों का निस्तार है। अनन्तराम वगैरह द्वारा

XXXXX(a)-BRH-II

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. . . निग.2701-II/15 . . . . . जिला . . . . छतरपुर . . . .

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-12-2016	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र खरे उपस्थित उपभयपक्ष अधिवक्ताओं को आपत्ति आवेदन पर सुना गया। 2— यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्र. 136/अपील/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें द्वितीय अपील किए जाने का प्रावधान है इस कारण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति मान्य करते हुए प्रचलित निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। तद्अनुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. स. स.